Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Arms Appeal No.- 222/2021

Urmila Kumari*.....*Appellant

Versus

The State of Bihar .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.03.2023	**आदेश** प्रस्तुत शस्त्र अपील वाद जिला दंडाधिकारी, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक–1160, दिनांक–03.10.2015 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षो को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी किशनगंज जिला के प्रतिष्ठित डॉ0 एवं समाज के शांतिप्रिय महिला है, जो अपने जान–माल की हिफाजत हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति से 464KG/1997 पर दो नाली बंदूक धारित करती थी। जिला दंडाधिकारी, किशनगंज के ज्ञापांक–1160, दिनांक–03.10.2015 के द्वारा अपीलार्थी के उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए निकटतम थाना/शस्त्र दूकान में अपने शस्त्र जमा कराने का निदेश दिया गया। जबकि अपीलार्थी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन वर्ष 2018 से 2020 तक नवीनीकरण करा चुकी थी, तब जिला दंडाधिकारी, किशनगंज ने अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को शस्त्र का सत्यापन का आधार बनाते हुए वर्ष 2015 में ही निलंबन आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश की जानकारी काफी विलंब से दी गई, जबकि इनका शस्त्र वर्ष 2018 से 2020 तक नवीकृत है। इस प्रकार निम्न न्यायालय आदेश विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यो से परे एवं विधि विरूद्ध तथा यांत्रिक रूप से पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी को किशनगंज से शस्त्र की	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 13.03.2023	सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों का सूचना के आलोक में इनके क्रमशः द्वारा अपने शस्त्र का नवीनीकरण कराया जा चुका था। इस स्थिति में जिला दंडाधिकारी, किशनगंज द्वारा वर्ष 2015 में पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जाना चाहिए। इस प्रकार इनकी ओर से निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला दंडाधिकारी, किशनगंज द्वारा पत्रांक–33, दिनांक–31.01.2022 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि जिला शस्त्र पंजी के अनुसार अपीलार्थी डॉ0 उर्मिला कुमारी, पति–कृष्ण वल्लभ प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0–रामनाथपुर, थाना–सरमेरा, जिला–नालंदा, वर्त्तमान–चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, किशनगंज के अस्थायी निवासी है। इन्हें किशनगंज जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–464KG/1997 निर्गत है। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2015 के अवसर पर किशनगंज जिला के अंतर्गत वैध अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु कई तिथि निर्धारित की गई, किन्तु इनके द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया, जिसके आलोक में जिला दंडाधिकारी, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक–1160, दिनांक–03.10.2015 द्वारा कुल 54 अनुज्ञप्तिधारियों का एक साथ तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए शस्त्र जमा करने का आदेश दिया गया है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि इस मामले में अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 2015 में धारित शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया गया था, जबकि जिला पदाधिकारी द्वारा अनेक तिथियाँ निर्धारित कर अपीलार्थी को शस्त्र का सत्यापन का कई अवसर प्रदान किया गया, इसके उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया गया। जिस कारण अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया है। शस्त्र अनुज्ञप्ति नियमावली की धारा 17(3) के आलोक में	

Web Copy Not Official.

	लगातार 13.03.2023	Licensing authority द्वारा Suspension की समय सीमा का निर्धारण करते हुए या तो License को Revoke करना है या Reject करना क्रमशः है। इस प्रकार वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद समाहर्त्ता, किशनगंज को यथोचित कार्रवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.